Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 9-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 12, 2023 (PAUSA 22, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जनवरी, 2023

संख्या 01/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

1. हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

क. अनुसूची – 2.5%, में –

(i) क्रम संख्या 102क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"एथाइल अल्कोहल, जो कि मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो";

(ii) क्रम संख्या 103अ के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र, गेहूं की भूसी, डी–ऑइल केक से भिन्न]";

ख. अनुसूची II – 6% में,

(i) क्रम संख्या 48 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"फलों के पल्प या फलों के रस आधारित पेय [फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रस युक्त कार्बोनेटेड बिवरेज के अलावा]";

(ii) क्रम संख्या 180 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"मेथमेटिकल बॉक्सेस, ज्योमैट्री बॉक्सेस और कलर बॉक्सेस";

ग. अनुसूची III–9% में, क्रम संख्या 25 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"किसी भी सांद्रता के एथाइल अल्कोहल और अन्य स्पिरिट्स, डिनेचर्ड, [एथाइल अल्कोहल, जो कि मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या पेट्रोलियम रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया हो से भिन्न]";

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2023 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th January, 2023

No. 01/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 and Sub-section (5) of Section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

i. against serial number 102A, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)";

ii. against serial number 103A, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, husk of pulses including chilka, concentrates including chuni or churi, khanda, wheat bran, de-oiled cake]";

B. in Schedule II – 6%,

i. against serial number 48, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Fruit pulp or fruit juice based drinks [other than Carbonated Beverages of Fruit Drink or Carbonated Beverages with Fruit Juice]";

ii. against serial number 180, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes";

C. in Schedule III – 9%, against serial number 25, under column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength [other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies or Petroleum refineries for blending with motor spirit (petrol)]";

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2023.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10123—C.S.—H.G.P., Pkl.